



2026:AHC-LKO:19332

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या - 517 वर्ष 2026

अंकित खरे

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ एवं 2 अन्य

.....विरोधी पक्ष (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सजीत सिंह, सौरभ सिंह

विरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-14

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है :

“(i). आरोपपत्र संख्या 2 वर्ष 2025, दिनांक 19.02.2025, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 345 वर्ष 2024, अंतर्गत धाराएं 419, 420, 467, 468, 471, 409 भारतीय दंड संहिता, थाना गोसाईगंज, जनपद लखनऊ, वाद संख्या 128859 वर्ष 2024 (राज्य बनाम बलबीर सिंह एवं अन्य) में, जो कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-III, लखनऊ के न्यायालय में विचाराधीन है, को निरस्त किए जाने हेतु;

(ii). वाद संख्या 128859 वर्ष 2024 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 30.11.2024 के संज्ञान आदेश तथा दिनांक 28.07.2025 के समन आदेश को निरस्त किए जाने तथा उपर्युक्त वाद की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने हेतु।”

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 345 वर्ष 2024, अंतर्गत धाराएं 319, 420, 406, 467, 468, 471, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, दिनांक 30.08.2024 को साधना सिंह, पत्नी राकेश कुमार सिंह, द्वारा लिखित सूचना के आधार पर आठ व्यक्तियों, अर्थात् विवेक सिंह, राघवेंद्र सिंह, अंकित खरे, बलवीर सिंह, शिव कुमार, आनंद कुमार शर्मा, प्रदीप सिंह एवं राम सिंह के विरुद्ध दर्ज की गई।

4. विवेचना की गई तथा विवेचना अधिकारी द्वारा प्रथम आरोपपत्र संख्या 1, दिनांक 27.11.2024, बलबीर सिंह, पुत्र अजीत सिंह, निवासी ग्राम मुस्की, पोस्ट अलीगंज, थाना गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी तथा राम सजीवन, पुत्र उदैराज, निवासी उम्मेदखेड़ा, थाना गोसाईगंज, जनपद लखनऊ के विरुद्ध धाराएं 419, 420, 467, 468, 471, 409, 504, 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया, जिसमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया कि प्रदीप सिंह, पुत्र मनोज कुमार सिंह, निवासी 594 घा/326ए दुर्गापुरी कॉलोनी, नीलमठ,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लखनऊ, वर्तमान में मकान संख्या 1/195, विनय खंड, कठौता चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ, शिव कुमार, पुत्र रवि कुमार, निवासी 551/176 चांदनगर, आलमनगर, लखनऊ, आनंद कुमार शर्मा, पुत्र राम निरालाय, निवासी 356/218/195 शिवाजीपुरम, आलमनगर रोड, थाना तालकटोरा, लखनऊ, विवेक सिंह, पुत्र उमाशंकर, निवासी 1354 गहमर, थाना गहमर, जनपद गाजीपुर, अंकित खरे, पुत्र संतोष खरे, निवासी 255/92/6 कुंडली, रकाबगंज, थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ तथा राघवेंद्र सिंह के विरुद्ध विवेचना लंबित है।

5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त आरोपपत्र पर तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 30.11.2025 को राम सजीवन एवं बलबीर सिंह (उपरोक्त) के विरुद्ध विचारण हेतु संज्ञान लिया गया। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि द्वितीय आरोपपत्र दिनांक 19.02.2025 विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि राम सजीवन, बलबीर सिंह, अंकित खरे तथा आनंद कुमार शर्मा के विरुद्ध अपराध बनता है। अभियुक्त विवेक सिंह, राघवेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह भदौरिया तथा शिव कुमार सिंह के नाम साक्ष्य के अभाव के कारण हटा दिए गए। उक्त आरोपपत्र में राम सजीवन एवं बलबीर सिंह के विरुद्ध धारा 406 भारतीय दंड संहिता को हटाकर धारा 409 भारतीय दंड संहिता जोड़ी गई। यह भी उल्लेख किया गया कि अंकित खरे के विरुद्ध धाराएं 419, 420, 467, 468, 471, 409 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध बनता है तथा आनंद कुमार शर्मा के विरुद्ध धाराएं 409, 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध बनता है।

6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह प्रस्तुत किया कि द्वितीय आरोपपत्र पर सक्षम न्यायालय द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। दिनांक 24.03.2025 को आरोपपत्र पर यह टिप्पणी अंकित है कि 'आरोप पत्र अवलोकित है, मूल पत्रावली के साथ संलग्न।' उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध आरोपपत्र पर संज्ञान लिए बिना ही सक्षम प्राधिकारी/पीठासीन अधिकारी द्वारा समन जारी कर दिए गए। पूर्व आदेश के अनुपालन में श्री आलोक वर्मा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-III, न्यायालय संख्या 27 की दिनांक 13.02.2026 की लिखित आख्या अभिलेख पर उपलब्ध है, जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक के विरुद्ध प्रस्तुत द्वितीय आरोपपत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पीठासीन अधिकारी की आख्या पर विवाद नहीं किया।
8. पक्षकारों के अधिवक्ताओं के कथनों पर विचार करते हुए, प्रश्नगत समन आदेश की विषय-वस्तु का अवलोकन करते हुए, तथा याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों जिसमें आदेश-पत्रक एवं पीठासीन अधिकारी की आख्या सम्मिलित है, का परीक्षण करने पर, उक्त आख्या से यह प्रत्यक्ष होता है कि विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक आरोप-पत्र संख्या 2 दिनांक 19.02.2025 पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट संज्ञान आदेश पारित नहीं किया गया था, अतः दिनांक 28.7.2025 का आदेश, आवेदक के विरुद्ध समन निर्गमन के संबंध में, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।
9. आवेदन स्वीकार किया जाता है।
10. पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुपूरक आरोप-पत्र पर विधि के अनुसार नवीन आदेश पारित करें।
11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ तथा पीठासीन अधिकारी को तत्काल प्रेषित करें।

17 मार्च, 2026

पीएस

[न्यायमूर्ति राजीव सिंह]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।